समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नं. 5, पंचम तल, कमरा नं. 601
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. के पास, जयपुर–302017
E-mail: **primarypre@yahoo.com**

क्रमांक : रास्कूलशिप / पूर्व प्राथमिक शिक्षा / Cleaning Resource/2025–26 / As Per RAJKAJ   दिनांक   As Per RAJKAJ

महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (962) में संचालित बालवाटिका हेतु
Cleaning Resources (सफाई संसाधन)

दिशा–निर्देश 2025–26

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में राष्ट्रीय मिशन "निपुण भारत" समस्त राज्यों में चलाया जा रहा है इसके अन्तर्गत छात्रों के समग्र विकास की बात कही गई है। छात्रों के समग्र विकास का पहला लक्ष्य Health and Wellbeing (स्वास्थ्य और सेहत) अर्थात छात्रों के स्वास्थ्य और सेहत के पहलुओ को शिक्षा के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना है। विद्यालय की स्वच्छता और साफ–सफाई को प्राथमिकता देकर विद्यार्थियों का सीखना सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित ओर स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है।

विद्यालय और विद्यार्थियों की साफ–सफाई के क्रम में 962 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में संचालित पूर्व प्राथमिक कक्षा / बाल वाटिका में स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने हेतु स्वच्छता एवं साफ–सफाई की सुविधाओं के लिए राज्य की समग्र शिक्षा – वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025–26 में अनुमोदित गतिविधि – Cleaning Resources for Pre primary sections अन्तर्गत सामग्री क्रय हेतु 5000 /– रूपये प्रति बालवाटिका अनुमोदित है। उक्त राशि को प्रति बालवाटिका के आधार पर जिलों को जारी किया जाना है। उक्त राशि के उपयोग हेतु सामग्री के नमूने, अनुमानित लागत संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते है :–

उद्देश्य :–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 व NCF-FS 2022 के अनुरूप Health and Wellbeing को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना।
2. शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता की आदतों का विकास करना।
3. सुरक्षित और पोषित / स्वच्छ वातावरण प्रदान करना।
4. स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.09 20:08:44 IST
Reason: Approved

सत्र के आरम्भ में (एक बार) सामग्री हेतु आवर्ती व्यय प्रावधान

क्र. सं	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (रूपए में)	नमूना चित्र	सामग्री का उपयोग
1	हैण्ड वाश–5	500/-		हाथ धोने के लिए उपयोग किया जाये।
2	फिनायल–5	500/-		शौचालय स्वच्छता हेतु उपयोग।
3	कॉटन क्लॉथ क्लीनिंग मॉप–10	600 /-		कॉटन क्लॉथ क्लीनिंग मॉप का उपयोग फर्श की सतह को जल्दी और आसानी से साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है।
4	जाला हटाने वाली झाड़ू–4	400/-		झाड़ू का उपयोग छत, पंखे, रोशनी और फर्श को साफ करने के लिए किया जा सकता है।
5	डस्टिंग क्लॉथ–10	300/-		डस्टिंग क्लॉथ लकड़ी, कांच, ग्रेनाइट जैसी कई सतहों से धूल एवं गंदगी को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
6	झाड़ू–8	300/-		झाड़ू से फर्श और छत की सफाई करना, गंदगी को साफ करना, ऊंचे स्थानों तक पहुंचना और फर्नीचर के नीचे झाड़ू लगाना शामिल है।
7	डस्टबीन विथ कवर–3	600/-		प्लास्टिक कवर, बोटल, चिप्स पैकेट के रैपर, दूध की खाली थैली, मेटल, जार व अन्य प्रकार का हार्ड वेस्ट सहित सुखा कचरा डालने के लिए उपयोग किया जाए।
8	जूते की रेक 5 शेल्फ वाली–2	1000/-		जूता, चप्पल आदि को व्यवस्थित रखने हेतु।
9	अन्य साफ–सफाई हेतु सामग्री	800/-		आवश्यकतानुसार साफ–सफाई की सामग्री क्रय हेतु
	कुल	**5000/-**		

Signature Not Verified

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.09 20:08:44 IST
Reason: Approved

उक्त सामग्री के नमूना चित्र प्रारूपित हैं। आवंटित राशि की सीमा के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार गुणवत्तापूर्ण सामग्री क्रय किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त स्वच्छ वातावरण के निर्माण हेतु अन्य उपयोगी आवश्यक सामग्री व संसाधन भामाशाह के सहयोग से विद्यालय स्तर पर भी क्रय किये जा सकते है।

हमारे दायित्व :–

<u>जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में :–</u>

1. समग्र शिक्षा की कार्ययोजना के नियमानुसार राज्य स्तर से निर्देश एवं लिमिट प्राप्त होते ही 7 दिवस में ब्लॉक स्तर को लिमिट जारी करते हुए विद्यालय स्तर पर सामग्री क्रय करवाया जाना सुनिश्चित करना।
2. ब्लॉक एवं विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. सत्र के आरम्भ में निर्देशित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुसार सामग्री क्रय करवाया जाना सुनिश्चित करना।

<u>ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के रूप में :–</u>

1. समग्र शिक्षा की कार्ययोजना के नियमानुसार राशि के उपयोग हेतु समय पर लिमिट जारी करवाना।
2. क्लस्टर एवं विद्यालयों तक सत्र के आरम्भ में निर्देशित दिशानिर्देशों अनुसार गुणवत्ता एवं मानकों के अनुसार सामग्री क्रय कराया जाना।

<u>क्लस्टर स्तरीय अधिकारी एवं संस्थाप्रधान के रूप में :–</u>

1. विद्यालय स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर गुणवत्ता युक्त सामग्री क्रय करना।
2. परिक्षेत्र के विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच एवं सामग्री क्रय को सुनिश्चित करना।
3. स्वच्छता हेतु क्रय की गई सामग्री का उपयोग शौचालय एवं विद्यालय परिसर की साफ–सफाई हेतु किया जाना सुनिश्चित करना।

<u>विशेष :–</u>

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जाए।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में राशि प्राप्ति के 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH Portal (https://samagrashiksha.in) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.09 20:08:44 IST
Reason: Approved

- सामग्री का क्रय राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कर, स्थायी, अस्थायी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करवाकर सामग्री का सदुपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- सामग्री क्रय के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण–पत्र **E-mail: primarypre@yahoo.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

अनुपमा जोरवाल
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्कूलशिप–जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर।
5. अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, रास्कूलशिप, जयपुर।
7. उपायुक्त–प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
8. उपायुक्त–योजना, राजस्कूलशिप, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
10. उपनिदेशक–शाला दर्पण, राजस्कूलशिप, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करावें।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक – समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. संस्थाप्रधान – संबंधित विद्यालय।
14. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.09 20:08:44 IST
Reason: Approved

प्रारूप–1

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक ....

क्रमांक   दिनांक

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर)

बालवाटिका विद्यालय हेतु Cleaning Resources (सफाई संसाधन)

क्र. सं.	**जिला**	**ब्लॉक**	**चयनित विद्यालयों की संख्या**	**प्राप्त लिमिट (राशि)**	**Cleaning Resources (सफाई संसाधन) सामग्री क्रय करने वाले विद्यालय की संख्या**	**Cleaning Resources (सफाई संसाधन) सामग्री क्रय नही करने वाले विद्यालय की संख्या**	**व्यय राशि**	**शेष राशि**	**शेष का कारण**
1									

हस्ताक्षर प्रभारी   **हस्ताक्षर एडीपीसी**

उक्त प्रपत्र गतिविधि पूर्ण होने पर जिला स्तर से समेकित कर राज्य स्तर को **E-mail: primarypre@yahoo.com** पर प्रेषित किया जाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.09 20:08:44 IST
Reason: Approved

Cleaning Resource District wise count (962 MGGS)		
S.No.	**District**	**No. of School**
2	ALWAR	23
3	BALOTARA	10
4	BANSWARA	30
5	BARAN	19
6	BARMER	8
7	BEAWAR	14
8	BHARATPUR	16
9	BHILWARA	17
10	BIKANER	51
11	BUNDI	15
12	CHITTAURGARH	28
13	CHURU	54
14	DAUSA	25
15	DEEG	16
16	DHAULPUR	17
17	DIDWANA-KUCHAMAN	18
18	DUNGARPUR	33
19	GANGANAGAR	15
20	HANUMANGARH	24
21	JAIPUR	116
22	JAISALMER	7
23	JALOR	13
24	JHALAWAR	8
25	JHUNJHUNU	46
26	JODHPUR	22
27	KARAULI	25
28	KHAIRTHAL-TIJARA	11
29	KOTA	20
30	KOTPUTLI-BEHROR	28
31	NAGAUR	14
32	PALI	20
33	PHALODI	7
34	PRATAPGARH (RAJ.)	18
35	RAJSAMAND	13
36	SALUMBAR	6
37	SAWAI MADHOPUR	11
38	SIKAR	60
39	SIROHI	[illegible]
40	TONK	10
41	UDAIPUR	[illegible]
	Grand Total	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.09 20:08:44 IST
Reason: Approved